न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 37/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/168

1. हनुमान नाथ पुत्र हरजी नाथ जाति नाथ निवासी 9 एनडी ए तहसील व जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ./राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज.

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री पवन कुमार चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 08.04.2024 दिनांक 05.09.2024 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 9 एनडी ए के प.नं. 40/8 मु.नं. 2 के कि.नं. 1/0.228, 2,3 सालम, 21/0.076, 9/.253, 10/.227, 22/.114, 23/.114, 24/0.076 25/.164 कुल 1.758है. रकबाराज की भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए तथा पूर्व में बेदखल किये जाने के बावजूद पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने करने पर अपीलार्थी को अतिधारी घोषित कर अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने व अप्रार्थी पर भू राजस्व की 50 गुणा शास्ति अधिरोपित करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होने पर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता व प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी हैं जो कि भूमिहीन काश्तकार हैं। अपीलार्थी का परिवार सन् 1971 से राजस्थान में निवास कर रहा हैं। चक 9 एनडी ए मु.नं. 20 प.नं. 47/1 कि.नं. 1 ता 5, 9ता 10 कुल 1.720है व मु.नं. 2 प.नं. 40/8 कि.नं. 21 ता 25 का 0.620 है. कुल 2.340है. भूमि पर अपीलांट का वर्ष 1987 से निरन्तर कब्जा है जिसमें अपीलार्थी अपना मकान बनाकर रह रहा हैं तथा मन्दिर बनाकर वहां पूजा अर्चना भी की जाती है।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायालय का ध्यान राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21ए की आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि ऐसे अतिचारी को जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2000 से पूर्व के सात वर्षों में से 5 वर्षों में भूमि पर लगातार कब्जा हो जो कि लगातार चला आ रहा हो उसकी बेदखली की जगह उसे उस भाग पर सिलिंग सीमा के अध्यधीन रहते हुए कब्जा बनाये रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। इस संबंध में अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014(2)पृष्ठ सं. 1352 मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपील सं. 3507/2004 जोगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 12.03.2014 एवं आरआरडी 1993 पृष्ठ सं. 596 मा. सवौच्च न्यायालय के सिविल अपील सं. 3621/1982 ब्रिज लाल बनाम रेवेन्यू बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 19.03.1993 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थी का वर्ष 1987 से निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला

आ रहा हैं, इसलिए अपीलार्थी को भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष विचाराधीन हैं, जिसका पूर्ण ज्ञान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को था, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ से नियमन प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गयी थी। अपीलार्थी के द्वारा राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भू राजस्व अधिनियम, उपनिवेशन अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश पारित किया हैं जो कि काबिल निरस्ती के हैं। अपील स्वीकार का आलौच्य आदेश अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आराजीराज भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं, पूर्व में भी बेदखली के आदेश पारित किये गये थे, लेकिन अपीलार्थी के द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया हैं। इसलिए उनके विरूद्ध राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत कार्यवाही की गयी हैं जो विधि सम्मत हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दो प्रकरणों में पारित दो पृथक पृथक आदेशों दिनांक 08.04.2024 दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। आदेश दिनांक 08.04.2024 के विरूद्ध मियाद अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी हैं, लेकिन मियाद माफी हेतु देरी का कोई पर्याप्त हेतुक दर्शित नहीं किया हैं न ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने के लिए निवेदन किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर आदेश दिनांक 08.04.2024 से संबद्ध होने के आधार पर दोनों आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील संस्थित की गयी हैं। न्यायालय की राय में आदेश दिनांक 08.04.2024 के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं हैं। अतः अपील आदेश दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध ग्रहण की जाती हैं।

6. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के द्वारा राजकीय भूमि चक 9 एनडी ए के मु.नं. 40/8(2) की 1.758है. कमाण्ड भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तलसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलार्थी हनुमान नाथ को जरिए नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके द्वारा नाजायज काश्त नहीं की गई उक्त रकबा का समय–समय पर तावान भरा गया हैं। कार्यवाही को दाखिल दफ्तर फरमाया जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं।

7. अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील पत्र में तथा अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा बहस में कथन किया गया हैं कि अपीलार्थी का चक 9 एनडी ए मु.नं. 2 प.नं. 40/8 कि.नं. 21 ता 25 का 0.620 है. पर वर्ष 1987 से निरन्तर कब्जा हैं, जिसकी नियमन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष जैरकार होने के कारण नियम 21ए, राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत उनका कब्जा विधिक हैं और उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा चक 9 एनडी ए के प.नं. 40/8 मु.नं. 2 के कि.नं. 1/0.228, 2,3 सालम, 21/0.076, 9/.253, 10/.227, 22/.114, 23/.114, 24/0.076 25/.164 कुल 1.758है. रकबाराज की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलार्थी के के विरूद्ध आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। कि.नं. 1,2,3,9,10 के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हैं जिसके आधार पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलार्थी का भूमि पर कब्जा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

8. आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं परन्तु अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उनका राजकीय भूमि पर कब्जा विधिपूर्ण होने संबंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। तथा पूर्व में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर अतिचारी घोषित करते हुए भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी के द्वारा राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। न्यायालय की राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की हैं। आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अपील खारिज योग्य हैं।
9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय इस निर्णय की प्रति के पालनार्थ लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ **I.A.S**
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)